एस०टी०संख्या 851/2024
सरकार बनाम चरण सिह आदि
धारा 147,148,149,302,324,341,120B भा०द०सं०
थाना लोनी बॉर्डर,गाजियाबाद।

निस्तारण उन्मोचन प्रार्थनापत्र 16 ख व 17 ख

08-05-2025

1- पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुयी। पत्रावली का तत्समय अवलोकन अपेक्षित होने के कारण पत्रावली को आज वास्ते आदेश हेतु नियत किया गया।

2- अभियुक्तगण कुलदीप व पूजा की ओर से उन्मोचन प्रार्थनापत्र 16 ख इस आशय से प्रस्तुत किया गया हैं कि अभियुक्तगण को उक्त केस में वादी मुकदमा द्वारा नामित किया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र में प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य नहीं है। वादी मुकदमा द्वारा दिनांक 11-05-2024 को समय करीब 21.00 बजे कथित घटना के सम्बन्ध में दिनांक 12-05-2024 को समय 1.34 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट 17 लोगो को नामजद किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में सभी नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध सामान्य आरोप लगाये गये है। अभियुक्तगण की कोई विशिष्ट भूमिका, मृतक विक्रम मावी पर हथियारो से हमला करके चोट पहुंचाने अथवा वादी मुकदमा सागर मावी के ऊपर हथियार से हमला करके चोट कारित करने की नहीं दिखायी गयी है। वादी मुकदमा द्वारा जिन अभियुक्तगण का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित किया गया है उसमें अभियुक्तगण कुलदीप व पूजा का नाम नहीं है। अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करने का कोई मोटिव नहीं दर्शाया गया है। अभियुक्तगण घटना में प्रयुक्त को कोई हथियार बरामद नहीं किया गया हैं। विवेचक के द्वारा विवेचना के दौरान साक्षी सागर मावी, सन्नी मावी उर्फ आकाश, शिखा व शिवराज के बयान अंकित किये गये, इन सभी गवाहो की साक्ष्य में विरोधाभाष है। साक्षी सन्नी मावी उर्फ आकाश ने अपने बयान में अभियुक्तगण का नाम नहीं लिया हैं और अभियुक्तगण की घटना स्थल पर मौजूदगी के सम्बन्ध में भी कोई कथन नहीं किया है। साक्षी शिवराज ने भी अपने बयान में अभियुक्तगण की घटना स्थल पर मौजूदगी होने एवं घटना कारित करके वादी व उसके पिता विक्रम मावी पर हमला करके चोट पहुंचाने का कथन नहीं किया है। अभियुक्त कुलदीप मृतक विक्रम मावी की बहन विमला की पुत्री पूजा का पति है। पूजा एवं कुलदीप की शादी कई वर्ष पूर्व हो चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई आरोप नहीं बनता हैं। अतः उपरोक्त तथ्यो के आधार पर अभियुक्तगण को उक्त आरोप से उन्मोचित किया जाए।

3- अभियुक्त गौरव नागर की ओर से उन्मोचन प्रार्थनापत्र 17 ख इस आशय से प्रस्तुत किया गया हैं कि प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध कोई आरोप नहीं बनता है। अभियुक्त घटना के दिन घटना स्थल से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर अपने घर पर था, किन्तु थाना पुलिस द्वारा बिना विवेचना किये हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया जिसके पश्चात अभियुक्त के भाई ललित द्वारा अभियुक्त की घटना के समय की मांव की सीसीटीवी फुटेज व 17 व्यक्तियो के शपथपत्र पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियो व विवेचक को मय पैन ड्राईव उपलब्ध कराये थे किन्तु पुलिस द्वारा अभियुक्त के साक्ष्यो व सीसीटीवी

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2025.05.09 16:02:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

फुटेज पर कोई विवेचना नहीं की तथा अभियुक्त के विरूद्ध बाला ही बाला आरोपपत्र प्रस्तुत कर दिया जिसके उपरान्त अभियुक्त के भाई द्वारा सीसीटीवी, पैन ड्राईव व शपथपत्र मय प्रार्थनापत्र श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये गये जिस पर न्यायालय द्वारा विवेचक को व्यक्तिगत रूप से तलब करके साक्ष्यो विवेचना में शामिल न होने का कारण पूछा था तो विवेचक द्वारा न्यायालय को बताया गया था कि गौरव नागर घटना के समय घटना स्थल पर नहीं था इसलिये सीसीटीवी व शपथपत्रो की विवेचना में शामिल नहीं किया गया, जिसके पश्चात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त के साक्ष्य को विवेचना में शामिल करने का आदेश पारित किया गया था। अभियुक्त का नाम किसी भी साक्षी द्वारा नहीं लिया गया तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में गौरव लिखाया गया था जिसके पश्चात थाना पुलिस द्वारा गौरव को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद किया था जबकि अभियुक्त से कोई जब्ती नहीं है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये गये शपथपत्र, घटना की सीसीटीवी फुटेज की पैन ड्राईव एवं विवेचक द्वारा एकत्र की गयी साक्ष्य से अभियुक्त के घटना स्थल पर उपस्थित होने की पुष्टि नहीं होती है। अभियुक्त घटना में शामिल नहीं रहा है। अतः उपरोक्त तथ्यो के आधार पर अभियुक्त को उन्मोचित किया जाए।

4– अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा विरोध करते हुए यह कथन किया गया कि अभियुक्तगण कुलदीप, पूजा एवं गौरव नागर कथित घटना में शामिल रहे हैं और उनके द्वारा अपने–अपने भाग की भूमिका निभाते हुए कथित घटना को कारित करके वादी मुकदमा के पिता पर तमंचे, पिस्टल से फायर करके उसकी हत्या की गयी है तथा वादी सागर मावी को भी घायल किया गया है। पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है। अतः अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थनापत्र निरस्त करके आरोप विरचित किया जाए।

5– मैने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस को विस्तार पूर्वक सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक अवलोकन किया।

6– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता हैं कि वादी मुकदमा सागर मावी की ओर से लिखित तहरीर इस आशय की दी गयी कि उसके पिता पर दिनांक 05–05–2024 को बदमाश पवन भाटी, चरण सिह, विमला, चंचल, कविता द्वारा धारदार हथियार से हमला किया था। पुलिस के द्वारा उन्हें घायल अवस्था में सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुनः दिनांक 11–05–2024 को समय रात्रि 9.00 बजे जब वह व उसके पिता प्रेमनगर कॉलौनी से अपने घर जा रहे थे तो पाईपलाइन रोड पर चरण सिंह भाटी, पवन भाटी,कविता, विमला, चंचल, कुलदीप,पूजा,राहुल भाटी, सोनू बघेल, रोहित भाटी, गौरव, टिंकू, विमल, प्रशांत उर्फ मुत्तू, निशांत, राहुल, रामबाबू, गगन सभी ने साजिश रचकर उन्हें चारो तरफ से घेरने का प्रयास किया, लेकिन वह किसी तरह भागने में कामयाब रहा, परन्तु लोहे की रॉड फेंककर उसके सिर पर वार किया जिससे उसका सिर फट गया और उसके पिता को घेरने में कामयाब हो गए। उक्त सभी लोगो ने धारदार हथियार, पिस्टल, तमंचे से हमला कर उन्हें मौत के घात उतार दिया। जिसकी

सूचना पुलिस को दी गयी। उपरोक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण चरण सिंह भाटी, पवन भाटी,कविता, विमला, चंचल, कुलदीप,पूजा,राहुल भाटी, सोनू बघेल, रोहित भाटी, गौरव, टिंकू, विमल, प्रशांत उर्फ मुत्तू, निशांत, राहुल, रामबाबू, गगन के विरूद्ध मुकदमा अन्तर्गत धारा 147,148,149,324,302,120B,341 भा०द०सं० में दर्ज किया गया। विवेचक के द्वारा दौरान विवेचना गवाहो के बयान दर्ज किये गये तथा घटना स्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी बनाया गया एवं अभियुक्तगण से घटना में प्रयुक्त हथियारो की बरामदगी की गयी, तत्पश्चात आवश्यक कार्यवाही करते हुए बाद विवेचना अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया गया।

7– विवेचक द्वारा दौरान विवेचना अभियुक्तगण सोनू मावी व अंकुर उर्फ काले को गिरफ्तार किया गया तथा उनके पास से बरामदगी दर्शित की गयी। इन अभियुक्तगण के द्वारा अपने इकबालिया बयान में अन्य अभियुक्तगण के साथ प्रस्तुत अभियुक्तगण कुलदीप, पूजा एवं गौरव नागर के नाम का उल्लेख करते हुए कहा गया कि सभी अभियुक्तगण ने मिलकर दिनांक 05–05–2024 को पवन भाटी की मौसी कविता के घर विक्रम मावी को मारने की प्लानिंग की थी और पवन भाटी ने बताया था कि उसके पास एक पिस्टल रखी हुयी है और तुम लोग अपने स्तर से एक दो तमंचे, लोहे की रॉड, चाकू एवं लाठी डंडो के इंतजाम कर लेना, तत्पश्चात दिनांक 11–05–2024 की घटना से दो दिन पूर्व पवन भाटी की मौसी कविता के घर के पास में बने पार्क में पुनः सभी ने मिलकर योजना बनायी और अपना–अपना कार्य करने हेतु भूमिका निभाने हेतु तैयार हुए। चश्मदीद गवाह सन्नी मावी ने अपने बयानो में यह कथन किया हैं कि दिनांक 11–05–2024 को उसने देखा कि पवन भाटी, प्रशांत उर्फ मुत्तू, अंकुर पांचाल उर्फ काले, राहुल भाटी, रोहित भाटी, टिंकू उर्फ हेमंत, निशांत, राहुल, बाबू, विमल, गौरव, दीपक उर्फ गोलू,गगन उसके पिता विक्रम मावी व भाई सागर मावी के साथ लाठी डंडो, रोड, पिस्टल, तमंचे, चाकू आदि हथियारो से मारपीट कर रहे थे। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट होता हैं कि अभियुक्तगण कुलदीप, पूजा एवं गौरव नागर भी कथित घटना में शामिल रहे है,उन्होने भी प्रत्यक्ष रूप से कथित घटना में अपराध को गठित किये जाने हेतु अपनी भूमिका निभाई हैं।

8– जहां तक अभियुक्तगण कुलदीप एवं पूजा के इस तर्क का सम्बन्ध हैं कि अभियुक्तगण घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे। विवेचक को गवाहो द्वारा दिये गये बयान में विरोधाभाष है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट में सामान्य आरोप लगाये गये है तथा अभियुक्त गौरव नागर की ओर से यह तर्क दिया गया हैं कि अभियुक्त गौरव नागर घटना स्थल से 45 किलोमीटर दूर था घटना स्थल की सीसीटीवी फुटेज को विवेचक ने विवेचना में शामिल नहीं किया है। यह सभी तथ्य साक्ष्य का विषय हैं और इन अभियोजन की ओर से साक्ष्य आने के पश्चात ही विचार किया जा सकता है। अभी अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया केस को देखा जाना हैं।

9– आरोप के स्तर पर न्यायालय से यह अपेक्षित नही है कि वह साक्ष्यों की विवेचना करें। मात्र यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टयाः आधार मौजूद है या नही। जैसा कि माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा **स्टेट आफ मध्य प्रदेश बनाम एस.बी.जौहरी AIR200 सुप्रीम कोर्ट 665 एवं मोहन अभयदास बनाम गुरदयाल सिंह**

AIR1971 **सुप्रीम कोर्ट 834** में माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया हैं। पर्याप्त आधार को भी माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि आरोप तय किये जाते समय न्यायालय को मात्र यह देखना है कि परीक्षण की कार्यवाही की जा सकती है या नही। इस स्तर पर यह देखा जाना आवश्यक नही है कि दोष सिद्धि सम्भावित है या नही जैसा कि **श्री अत्याचार निरोधी परिसर बनाम दिलीप (1971)1 एस.सी.सी. 715** में माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा पर्याप्त आधार को परिभाषित किया गया हैं। मात्र गम्भीर सन्देह विद्यमान होने के आधार पर भी आरोप तय किया जा सकता है। दोषसिद्धि हेतु आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध है या नही, इस पर विचार आरोप के स्तर पर न्यायालय द्वारा नहीं किया जायेगा, जैसा कि माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा **राजबीर सिंह बनाम स्टेट आफ उ० प्र० 2006(55)ACC 318 (सुप्रीम कोर्ट)**

10– उपरोक्त निर्णयज विधिक सिद्धान्तों में दिये गये विधिक स्थिति को देखते हुए प्रश्नगत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में न्यायालय यह पाती है कि विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध मामले को आगे चलाये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य संकलित किया गया है। अतः न्यायालय के निष्कर्ष में अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप तय किये जाने हेतु प्रथम दृष्टयाः पर्याप्त आधार उपलब्ध है। अतः अभियुक्तगण कुलदीप, पूजा एवं गौरव नागर की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थनापत्र 16 ख व 17 ख निरस्त होने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण कुलदीप, पूजा एवं गौरव नागर की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थनापत्र 16 ख व 17 ख निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 147,148, 149, 302/120B, 324, 341, 307 भा०द०सं० का आरोप विरचित किये जाने हेतु पत्रावली दिनांक .....को पेश हों।

(अनिल कुमार–IV)
अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं० 1
गाजियाबाद।